न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :– 136/2006
CIS No. :– PS/136/2006
CNR No. :– BRWC22–000007–2006

गणेश तिवारी एवं अन्य बनाम् **मोहन तिवारी एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
15.03.2022	अभिलेख पेश हुयी। पुकार पर वादीगण विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक 21.02.2022 के निस्तारण पर बल दिया गया। **निस्तारण प्रार्थनापत्र दिनांक**–21.02.2022 प्रार्थनापत्र दिनांक 21.02.2022 वादीगण द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा के दौरान प्रतिवादिनी संख्या–4 शारदा देवी की मृत्यु हो गयी। इनके स्थान पर इनके विधिक वारिसानों को प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापना के पश्चात प्रतिवादिनी संख्या–4 के विधिक वारिसानों की उपस्थिति हेतु जरिये नजारत सम्मन व रजिस्ट्री सम्मन भेजा गया परन्तु प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादिनी संख्या–4 शारदा देवी के विरूद्ध वाद में एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित किया जा चुका है। आदेश 22 नियम 4(4) में वर्णित है कि अगर कोई पक्षकार बिना जबाब दिये रहता है और वह मर जाता है तो उनके वारिसान की उपस्थिति से वाद के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वादीगण द्वारा प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण पर सम्मन का तामिला जरिये रजिस्ट्री माने जाने हेतु बल दिया गया। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि मुकदमा के दौरान प्रतिवादिनी संख्या–4 शारदा देवी की मृत्यु हो गयी। इनके स्थान पर इनके विधिक वारिसानों विनोद पाण्डेय, अविनाश पाण्डेय, अजितेश पाण्डेय, अमृतांशु पाण्डेय एवं अर्पित पाण्डेय को क्रमशः प्रतिवादी संख्या–4, 4/(क), 4/(ख), 4/(ग) एवं 4/(घ) के रूप में प्रतिस्थापित किया गया। इनको अभिलेख पर	

न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :– 136/2006
CIS No. :– PS/136/2006
CNR No. :– BRWC22–000007–2006

गणेश तिवारी एवं अन्य बनाम् **मोहन तिवारी एवं अन्य**

लगातार **15.03.2022**	उपस्थित होने के लिए जरिये नजारत सम्मन एवं रजिस्ट्री सम्मन भेजा गया है परन्तु नजारत सम्मन एवं रजिस्ट्री सम्मन का तामिला यह अभिकथन करते हुए वापस आ गया है कि नजारत सम्मन एवं रजिस्ट्री सम्मन में अंकित पते पर प्रतिवादीगण नहीं रहते हैं। जहां तक प्रश्न आदेश 22 नियम 4 उपनियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता का है तो आदेश 22 नियम 4 उपनियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता में यह अवधारित किया गया है कि '' ***कई प्रवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु की दशा में प्रक्रिया–4(4)*** *जब कभी वह ठीक समझे, वादी को किसी ऐसे प्रतिवादी के जो लिखित कथन फाइल करने में असफल रहा है या जो उसे फाइल कर देने पर, सुनवाई के समय उपसंजात होने में और प्रतिवाद करने में असफल रहा है, विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकेगा और ऐसे मामले में निर्णय उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध उस प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर भी सुनाया जा सकेगा और उसका वही बल और प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने के पूर्व सुनाया गया हो।''* इस प्रकार आदेश 22 नियम 4 उपनियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता विधिक प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट प्रदान करने की बात करती है। परन्तु प्रस्तुत मामले में वादी पक्ष की ओर से प्रतिवादिनी शारदा देवी के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित किया जा चुका है। अब प्रश्न प्रतिवादिनी शारदा देवी के विधिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति का है। नजारत सम्मन एवं रजिस्ट्री सम्मन का तामिला यह अभिकथन करते हुए वापस आ गया है कि नजारत सम्मन एवं रजिस्ट्री सम्मन में अंकित पते पर प्रतिवादीगण नहीं रहते हैं। इस संबंध में ''***आदेश 5 नियम 9(3) सिविल प्रक्रिया संहिता*** *अन्य बातों के अलावा यह प्रावधानित करता है कि सम्मन की तामील प्रतिवादी को या प्रतिग्रहण*	

न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

बंटवारा वाद संख्या :– 136/2006
CIS No. :– PS/136/2006
CNR No. :– BRWC22–000007–2006

गणेश तिवारी एवं अन्य बनाम् **मोहन तिवारी एवं अन्य**

लगातार
15.03.2022

करने के लिए सशक्त उसके अभिकर्ता को सम्बोधित रसीदी पंजीकृत डाक द्व ारा या उच्च न्यायालय या उपनियम (1) में निर्दिष्ट न्यायालय द्वारा अनुमोदित कोरियर सेवा द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा उपबंधित (फैक्स मैसेज या इलैक्ट्रोनिक मेल सर्विस को सम्मिलित करते हुए) दस्तावेज पारेषित करने के किसी अन्य माध्यम द्वारा प्रदत्त या पारेषित करके की जा सकती है। इस प्रकार यह विदित है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील इलैक्ट्रोनिक माध्यम से भी करायी जा सकती है।'' इस प्रकार वाद के त्वरित निष्पादन के संदर्भ में वादी पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वादी पक्ष प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण का मोबाईल नम्बर/ वाट्सअप नम्बर/ई–मेल आई०डी०/निवास स्थान का पता जहां प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण निवास करते हो अविलंब न्यायालय के समक्ष उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण पर सम्मन की तामील हो सके।

अभिलेख वास्ते प्रतिवादी संख्या–4, 4/(क), 4/(ख), 4/(ग) एवं 4/(घ) की उपस्थिति हेतु दिनांक–22.04.2022 को पेश हो।

(मानस कुमार)
अवर न्यायाधीश तृतीय
न्याय कक्ष–4 नरकटियागंज